चेक लिस्ट क्रं.सं. 35

राजस्व वन भूमि कलेक्टर का प्रमाण पत्र

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा,छ0ग0

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्र./725/ भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा दिनांक 19/06/2023

प्रति,

महाप्रबंधक (तक.)/परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कार्यालय परियोजना निदेशक, प.का.ई कोरबा
जिला– कोरबा (छ0ग0)

विषय :– उरगा–पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 (रायपुर–धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर) भारतमाला परियोजना के निर्माण में प्रभावित अनुविभाग– कोरबा, जिला कोरबा के वनभूमि प्रस्ताव अंतर्गत राजस्व वन भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।

संदर्भ :– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा का पत्र क्रमांक/357/अ.वि.अ./स्टेनो/2023 कोरबा दिनांक 23.05.2023 तथा क्रमांक/360 दिनांक 23.05.2023।

–––000–––

विषयांतर्गत उरगा–पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 (रायपुर–धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर) भारतमाला परियोजना के निर्माण में जिला कोरबा, वनमण्डल कोरबा, अनुभाग, कोरबा, तहसील भैसमा एवं करतला के अंतर्गत निर्माण से प्रभावित कुल राजस्व वनभूमि रकबा 8.1990 हे0 पर गैर वानिकी कार्य किए जाने बाबत् वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति प्रदाय हेतु मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई कोरबा के द्वारा निवेदन किया गया है।

तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा से उक्त परियोजना हेतु अभिमत सहित प्रतिवेदन प्राप्त। पत्रानुसार परियोजना हेतु प्रभावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रभावित राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) का विवरण

क	अनुभाग	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	प्रभावित रकबा हे0में	रिमार्क
1	कोरबा	भैसमा	ढ़ोंगदरहा	167/16	0.0504	राजस्व वनभूमि
2	कोरबा	भैसमा	ढ़ोंगदरहा	152	0.5144	राजस्व वनभूमि
3	कोरबा	भैसमा	ढ़ोंगदरहा	139	0.0013	राजस्व वनभूमि
4	कोरबा	भैसमा	ढ़ोंगदरहा	421	0.8366	राजस्व वनभूमि
5	कोरबा	भैसमा	ढ़ोंगदरहा	414/1	0.8395	राजस्व वनभूमि
6	कोरबा	भैसमा	कटकोना	123/1	1.5400	राजस्व वनभूमि
7	कोरबा	करतला	कोटमेर	499/1	0.8527	राजस्व वनभूमि
8	कोरबा	करतला	करतला	608	0.0214	राजस्व वनभूमि
9	कोरबा	करतला	करतला	1082/1	1.2838	राजस्व वनभूमि
10	कोरबा	करतला	करतला	1179/1/क/1	2.2590	राजस्व वनभूमि
योग					8.1990	

उक्त परियोजना से प्रभावित राजस्व वनभूमि में किसी भी हितग्राही का वन अधिकार पत्रक प्रभावित नहीं हो रहा है एवं न ही पत्रक वितरण हेतु शेष है। प्रस्तावित स्थल में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवासरत् नहीं है एवं प्रभावित नहीं हो रहे हैं तथा शासन द्वारा संचालित सुविधाएँ जैसे आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, पाठशाला, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः वनमण्डल कोरबा, अनुभाग, कोरबा, तहसील भैसमा एवं करतला के अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 (रायपुर–धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर) भारतमाला परियोजना के निर्माण में कार्य में प्रभावित राजस्व वनभूमि कुल रकबा 8.1990 हे0 का गैर वानिकी कार्य किए जाने बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान/विधि अनुसार कार्य किए जाने हेतु अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तो के अधीन कोई आपत्ति नहीं है–

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर मेसर्स मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई कोरबा को वनमण्डल कोरबा के अनुभाग कोरबा, तहसील भैसमा अंतर्गत ग्राम ढोंगदरहा, कटकोना तथा तहसील करतला अंतर्गत ग्राम कोटमेर, करतला में उरगा–पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 (रायपुर–धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर) भारतमाला परियोजना के निर्माण हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वनभूमि पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दी जा रही है।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र परियोजना मेसर्स मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई कोरबा को उरगा–पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए कि.मी. 70.200 से कि.मी. 157.745 भारतमाला परियोजना के निर्माण कार्य हेतु दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
4. वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. यह अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांरण नही किया जा रहा है।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/726 /भू.अ./वन अधि./2023 कोरबा, दिनांक : 19/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार भैसमा/करतला की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)